102/15 जिला कलेक्टर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 102/2015 सुरेन्द्र मोहन पुत्र जगननाथ जाति सूद निवासी चक 20 आरबी तहसील रायसिंहनगर बनाम 1–स्टेट आफ राज0 2–रूपिता मेहरा पत्नि रमेश मेहरा पुत्री कौशल्यादेवी निवासी विसपरिंग विडस फार्म अरकारी दोधा बलापुर बगलोरू कर्नाटक 3– विपला पत्नि अशोक चढडा पुत्री कौशल्या देवी निवासी विसपरिंग विडस फार्म अरकारी दोधा बलापुर बगलोरू कर्नाटक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.03.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री रामप्रकाश गुप्ता उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 2 व 3 के मुखत्यार आम तरणजीत बराड़ के अभिभाषक श्री महादेव मिढा उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीयान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर में लंबित अपील संख्या 1/2014 अनवानी सुरेन्द्र मोहन बनाम कौशल्याद`वी आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया था। चूंकि अब प्रार्थीयान इस मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इसलिए मुकदमा मन्तकिली का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

अप्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

698
6-4-16

चूंकि प्रार्थी मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहता है अर्थात नॉट प्रैस किया है। इसलिए मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर